न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ०नि०) अधिनियम, जौनपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–94/2026
(पंजीकरण सं०–528/2026)
दिवाकर सिंह पुत्र स्व० रामउदय सिंह
निवासी ग्राम–परासिन, थाना–शाहगंज, जिला–जौनपुर।

बनाम

उ०प्र० राज्य।
मु०अ०सं०–35/2026
धारा–326(g) बी०एन०एस० एवं धारा–3 (2) (iv) व धारा–3 (2) (v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
थाना–शाहगंज, जिला–जौनपुर।

दिनांक–10.03.2026

1– आवेदक/अभियुक्त दिवाकर सिंह की ओर से मु०अ०सं०–35/2026, अंतर्गत धारा–326(g) बी०एन०एस० एवं धारा 3 (2) (iv) व धारा–3 (2) (v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–शाहगंज, जिला–जौनपुर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र इन आधारों पर दाखिल किया गया है कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को गाँव के विरोधियों के साजिश में आकर वादी द्वारा फर्जी ढंग से अभियुक्त बना दिया गया है। घटना कारित करते समय किसी ने भी नहीं देखा, बल्कि अभियुक्त के प्रवृत्ति के आधार पर गाँव के अन्य विरोधियों के कहने से उसको अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदक को वादी मुकदमा व अन्य कई लोग बुरी तरह से मारे–पीटे हैं, जिससे उसका दाहिना पैर टूट गया, जिसके संदर्भ में उसने थाने पर सूचना दिया था। इसके बावजूद उसका कोई मुकदमा वादी के विरूद्ध पंजीकृत नहीं किया गया। जबकि पुलिस इलाका ने समस्त मेडिकल प्रपत्र अपने कब्जे में लेकर घर से फर्जी चालान कर दिया। घटना दिनांक 09.02.2026 को समय 05.30 बजे शाम की है और वादी ने राय मशविरा लेकर घटना के दूसरे दिन दिनांक 10.02.2026 को समय 22.08 बजे मुकदमा दर्ज कराया, जबकि घटना स्थल से चौकी की दूरी मात्र चार किमी है। वह घर पर मौजूद था कि पैर टूटने की अवस्था में पुलिस द्वारा घर से गिरफ्तार कर चालान कर दिया। वह विवेचना में विवेचक का पूरा सहयोग करने को तैयार है, जिससे सही घटना व अभियुक्त का पता चल सके। अभियुक्त दिनांक 25.02.2026 से कारागार में निरूद्ध है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा संतोष गौतम ने थाने पर तहरीर इस आशय की दी कि दिनांक 09.02.2026 को समय लगभग 05.30 बजे शाम को उसकी मड़ई में दिवाकर सिंह ने आग लगा दिया, जिससे मड़ई में रखी चारपाई व करीब पाँच किलो व कुछ कपड़े जल गये। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त दिवाकर सिंह के विरूद्ध मु०अ०सं०–35/2026, अंतर्गत धारा–326(f), 324(4) भा०न्या०सं० व धारा 3 (2) (Vक) एस०सी०/एस०टी० एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। बाद विवेचना अभियुक्त के

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.10 16:16:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur

विरुद्ध धारा –326(g) बी०एन०एस० एवं धारा 3 (2) (iv) व धारा–3 (2) (v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

4– अभियोजन पक्ष को वादी मुकदमा को सूचना देने एवं अभियुक्त के आपराधिक इतिहास हेतु समय प्रदान किया गया है। वादी मुकदमा को तामीला प्राप्त है, परन्तु वादी मुकदमा अनुपस्थित है।

5– जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना गया।

6– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिकी विलम्ब से लिखाई गई है, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। घटना का कोई चक्षुदर्शी गवाह भी नहीं है। आवेदक को रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक सम्मानित परिवार के सदस्य है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

7– विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति के पीड़ित व्यक्ति का मड़हा जलाकर रिष्टि कारित करने का अपराध किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। यह भी कहा गया है कि अभियुक्त का वर्तमान अभियोग के अतिरिक्त चार अन्य मुकदमों का आपराधिक इतिहास है, जो निम्नवत् है।

क्रम सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जिला
1	55/2024	379, 411 भा०दं०सं०	शाहगंज	जौनपुर
2	157/2024	504, 506 भा०दं०सं०	शाहगंज	जौनपुर
3	91/2025	110, 115(2), 117(2), 333, 351(3)बी०एन०एस०	शाहगंज	जौनपुर
4	424/2025	115(2), 117(2), 352, 351(3)बी०एन०एस०	शाहगंज	जौनपुर

8– पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त, जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, द्वारा आशय पूर्वक अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा/पीड़ित के मड़हे, जिसमें उसका गृहस्थी का सामान रखा हुआ था, को जलाकर रिष्टि कारित किया जाना कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। केस डायरी के पर्चा सं०–02 में वादी मुकदमा का बयान अंतर्गत धारा 180 भा०ना०सु०सं० अंकित किया गया, जिस अनुसार वह अपने गाँव में झोपड़ी बनाकर रहता है, सड़क के एक तरफ वह रहता है तथा दूसरी तरफ सामान रहता है, घटना दिनांक को गाँव के दिवाकर सिंह ने उसकी झोपड़ी को जला दिया, जिससे उसका सामान जलकर राख हो गया। केस डायरी के पर्चा सं०–03 में चश्मदीद गवाह वादी मुकदमा की पत्नी श्रीमती सरोजा का बयान अंतर्गत धारा 180 भा०ना०सु०सं० अंकित किया गया, जिसमें उसने कथन किया है कि घटना दिनांक को उसके गाँव के दिवाकर सिंह आये और कहने लगे कि मेरे दोस्त राहुल के विरूद्ध मुकदमा क्यों लिखवाये हो, छोड़ोगे नहीं उठा ले जाएंगे, इतना कहकर जाने लगे। वह उनके पीछे जाने लगी इतने में दिवाकर उसकी मड़ही जिसमें वह खाना बनाती थी और वे लोग खाना खाते थे, में आग लगा दिया और भाग गये, जिससे उसकी मड़ही व उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के ऊपर अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा के मड़हा, जिसमें उसका रिहायशी सामान रखा हुआ था, को जलाकर रिष्टि कारित करने का आरोप है।

अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का वर्तमान अभियोग के अतिरिक्त अन्य चार मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत किया गया है।

9— अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त दिवाकर सिंह की ओर से मु०अ०सं० —35/2026, अंतर्गत धारा—326(g) बी०एन०एस० व धारा—3 (2) (iv) व धारा—3 (2) (v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना—शाहगंज, जिला—जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(**रणजीत कुमार**)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति(अ०नि०) अधिनियम, जौनपुर।
जे०ओ० कोड— यू०पी० 6509